संदर्भ सं. :525/आईआरडीएआई/एचएलटी/सीके/2020-21

Ref. No:525/IRDAI/HLT/CK/2020-21 06-05-2021

प्रति / To,

सभी जीवन, सधारण एवं स्टैंड एलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर)

All Life, General and Stand Alone Health Insurers (Except AIC and ECGC)

विषय: मानक कोरोना विशिष्ट उत्पादों की उपलब्धता और नवीकरण

Re: Availability and Renewal of Standard Corona specific products

1. यह प्राधिकरण के ध्यान में आया है कि कुछ बीमा कंपनियाँ ग्राहकों को कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियाँ प्रस्तावित नहीं कर रही हैं, और कुछ बीमा कंपनियाँ इन पॉलिसियों का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं।

1. It has come to the notice of the Authority that some of the insurers are not offering Corona Kavach and Corona Rakshak Policies to the customers, and some insurers are not renewing such policies.

2. इस संबंध में, आपका ध्यान परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/253/10/2020 दिनांकित 13.10.2020 के खंड 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ताओं के पास इन कोविड निर्दिष्ट मानक स्वास्थ्य उत्पादों (अर्थात, "कोरोना रक्षक पॉलिसी", "कोरोना कवच पॉलिसी" एवं "समूह कोरोना कवच पॉलिसी") जैसा भी लागू हो, के नवीकरण, स्थानांतरण और सुवाह्यता की अनुमति देने का विकल्प उपलब्ध हैं।

In this regard, your attention is drawn to Clause 3 of Circular Ref No. IRDAI/HLT/REG/CIR/253/10/2020 dated 13.10.2020 which specifies that the insurers have the choice to allow renewal, migration and portability, as may be applicable, for these COVID specific standard health products (i.e "Corona Rakshak Policy", "Corona Kavach Policy" and "Group Corona Kavach policy").

3. कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण बढ़ती संक्रमण दर के मद्देनजर, बीमा योग्य जनता को उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज की आवश्यकता होती है और इस महत्वपूर्ण समय में ग्राहकों को इस तरह के कवरेज से इनकार करना सही नहीं है। सभी बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है

कि जहां भी कोरोना विशिष्ट मानक उत्पाद दायर किए गए हैं और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, वही बीमाकर्ता की जोखिमांकन नीति के अनुसार ग्राहकों को पेश किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जहां अंतर्निहित कोरोना विशिष्ट उत्पाद बीमित व्यक्ति को उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र 13.10.2020 में पॉलिसी को नवीनीकृत करवाने में सक्षम बनाता है, बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बीमाकर्ताओं की जोखिमांकन नीति के अधीन ऐसी पॉलिसियों को नवीनीकृत करें।

In the wake of rising infection rates due to the second wave of the Covid-19, the insurable public require appropriate health insurance coverage and it is not correct to deny such coverage to the customers in this crucial time. All insurers are advised to ensure that wherever Corona specific standard products have been filed and approved by the Authority, the same should be offered to the customers according to the insurer's underwriting policy. Similarly, where the underlying corona specific product enables the insured to renew the policy as specified in the above referred circular dated 13.10.2020, insurers are advised to renew such policies subject to the underwriting policy of respective insurers.

4. जैसा कि महामारी ने स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता को व्यक्त किया है, सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सुरक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें ताकि आम जनता में अत्यंत आवश्यक विश्वास और सद्भावना विकसित हो सके।

As the pandemic has accentuated the need for health insurance, all insurers are advised to actively promote protection through health insurance so as to develop the much needed trust and goodwill of the general public.

(सुरेश माथुर / Suresh Mathur)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director